भारत सरकार Government of India
परमाणु उर्जा विभाग Department of Atomic Energy
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
ईएमसी) विद्युत), जीएसओ, एनआरबी, तारापुर EMC (Elect.), GSO, NRB, Tarapur
पोस्ट : टी.ए.पी.पी, तहसील : पालघर , जिला : पालघर, पिन : 401504, फोन नं: (02525
At post – TAPP, Tal -Palghar, Dist. -Palghar, Pin: 401504, Phone No. (02525) 268047

# ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना :बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी/ईएमटी-189/2025/ 438 दिनांक 27/10/2025

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक जीएसओ, नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'क'- योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात तथा भाग 'ख'-वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हों अथवा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

| | | |
|---|---|---|
| i) | कार्य का नाम | बीएआरसी स्टाफ कॉलोनी, तारापुर में टाइप- ई बंगले में विद्युतीकरण और टाइप-डी स्पेशल बिल्डिंग में सर्विस पैनल का प्रतिस्थापन। |
| ii) | कार्य की अवस्थिति | बीएआरसी स्टाफ़ कॉलोनी |
| iii) | अनुमानित लागत | रु. 28,90,000/-/- (अट्ठाईस लाख नब्बे हजार मात्र) |
| iv) | बयाना राशि | रु. 57,800/- (सतावन हजार आठ सो मात्र) |

टिप्पणी:

भाग क खोलने से पहले मूल बयाना राशि प्रभारी अभियंता, ईएमसी (विद्युत) , कॉमन सर्विस बिल्डिंग , बीएआरसी कालोनी, पोस्ट – टीएपीपी जिला-पालघर, पिन - 401502 के कार्यालय में जमा किया जान चाहिए। मूलरुप में बोईसर, महाराष्ट्र में देय भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रिफ्री बीएआरसी, तारापुर के नाम से जारी किसी अनुसूचित बैंक की डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ अनुसूचित बैंक का पे आर्डर के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशि का कम से कम 50% या रु .20.00 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि, ( लागू सक्षम प्राधिकारी परियोजना प्रबंधक - निदेशक जीएसओ, नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) निविदा भाग 'क' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जमा बयाना के भाग के रुप में प्रस्तुत की गई बैंक गांरटी निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि से छह माह की अवधि या उससे अधिक के लिए वैध होगा। कार्यनिष्पादन गांरटी प्राप्त होने के बाद बिड के (पुष्टीकरण के बाद ) साथ जमा किया गया बयाना वापस किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| v) | निविदा दस्तावेज का मूल्य | शून्य |
| vi) | निविदा प्रक्रिया शुल्क | शून्य |
| vii) | समाप्ति की अवधि | **18 (अठारह )** कैलेन्डर माह **(**मानसून अवधि सहित) |
| viii) | निविदा दस्तावेजखरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीखें (एक्सेल/वर्ड फ़ार्मेट) | https://eprocure.gov.in//eprocure/app. वेबसाइटपर दिनांक **28/10/2025**( **10.00 बजे)**विस्तृत NIT केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है। |
| ix) | बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख एवं स्थान | ------- |
| x) | निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की तारीख एवं समय | दिनांक **29/10/2025 (10.00 बजे)** से **12/11/2025 (12.00 बजे)** तक |
| xi) | भाग 'क' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय | दिनांक **13/11/2025 (12.00 बजे)** |
| xii) | पात्र बोलीकर्ताओं के भाग 'ख' को खोलने की तिथि | बाद की तारीख को https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर अधिसूचित किया जाएगा । |

**सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश**

**सूचना :**

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'क' (योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है । भाग 'क' में योग्यता मानदंड से संबधित कागजात है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'ख' क प्रोफार्मा । भाग 'ख' (वित्तीय बोली)में अनुसूची 'क'-प्रमात्राओं एवं दरों की अनुसूची है।

निविदा में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को वेबसाइट के होम पेज **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** में अपने यूजर आईडी / पासवर्ड औरक्लास III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ लॉग इन करना आवश्यक है।

संभावित बोलीदाताओं को एक्सेल फॉर्मेट प्राइस बिडको डाउनलोड करना होगा और एक्सेल डॉक्यूमेंट को भरना होगा और उसका नाम बदले बिना अपलोड करना होगा।कृपया निविदा जमा करने के लिए हेल्प मैनुअल देखें / एनआईटीके अनुसार हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

वर्णित कार्य हेतु निविदा ड्राइंग (अनुभाग - VI)के एक सेट को प्रभारी अभियंता, ईएमसी (विद्युत) , जीएसओ,एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर, के कार्यालय में निविदा के प्रस्तुतीकरण के अंतिम दिन के पूर्व कार्य दिवस तक केवल निविदाकारों को ही निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा तथा बोलीकर्ता, यदि

अपेक्षित हो, ड्राइंगों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत रुप से आ सकते है एवं वह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा।

बी.ए.आर.सी परिसर में प्रवेश के लिए संभावित बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को पासपोर्ट , मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता सं (पैन)जैसे फोटो पहचान पत्र लाना होगा। जो एक प्रतिबंधित स्थान है । फोन या ईमेल पर पूर्व सूचना बोलीदाता को लेनी होगी ताकि एनआरबी, बी.ए.आर.सी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था की जा सके।

सफ़लता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य दिए जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज करार के भाग होंगे।

**आरंभिक पात्रता मानदंड:**

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।

(ख) न्यूनतम रु.**11,56,000/-** का किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र तथा निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ग) दिनांक **31 मार्च**, **2024** को समाप्त पिछले **3** लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम रु. **14,45,000/-,** का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर होना चाहिए । इसे किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए (चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति अपलोड किया जाए) जिस वर्ष में कोई टर्नओवर नहीं किया गया है, उसे भी औसत निकालने के लिए गिना जाएगा।

(घ) दिनांक **31 मार्च**, **2024** को समाप्त पिछले 7 वर्षों के दौरान दो वर्षों में कोई हानि नहीं होनी चाहिए । इसे पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और ऑडिट किया जाना चाहिए।

(च) पिछले 7 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्य किए।

(छ) उचित एवं समय से कार्य के निष्पादन हेतु बिडर के पास अपना स्वयं का अपेक्षित सूची के अनुसार निर्माण उपस्कर होने चाहिए । अन्यथा, उन्हें प्रणामित करना चाहिए कि वह किराये इत्यादि द्वारा उपस्कर की व्यवस्था करेगा एवं ऐसे फर्मों की सूची, जिनसे वह किराये पर लेने का प्रस्ताव करताहै, प्रस्तुत करेगा।

(ज) बिडर के पास ठेका को उचित तरीके से निष्पादित करने के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए । बिडर को यह बताते हुए कि ये कर्मचारी किस रूप में इस कार्य से जुड़े हैं, इन कर्मचारियों की एक सूची प्रस्तुत करना चाहिए।

(ट) वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र(जीएसटीआईएन सं.)

(ठ) स्थायी खाता सं (पैन)।

(ढ) पी एफ पंजीकरण सं.।

(ण) विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण-पत्र / जीएसटी प्रमाण-पत्र

(त) ठेकेदार यह घोषणा करेगें कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेंसी के द्वारा निविदा करने से डिबार नहीं किया गया हैं ।

(थ) जिस माह में निविदा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, उसके पूर्व माह के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले सात (07) वर्षो के दौरान समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किये गये जाने का अनुभव । निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम तारीख के पूर्व दिवस तक पूरा किये गये कार्यों पर भी विचार किया जाएगा । संयुक्त उद्यम स्वीकार्य नहीं हैं ।

4. बिडरों द्वारा संतोषजनक रुप से पूरा (कार्यो के क्लाइंटों द्वारा कार्यनिष्पादन के प्रमाणन पर आधारित) कार्य किया जाना चाहिए ।

(i) रु**.11,56,000/-** अनुमानित लागत का 40% की लागत से कम के नहीं इसी प्रकार के **03** (तीन) समान कार्य ।

**(ii)** रु**.17,34,000/-** अनुमानित लागत का 60% की लागत से कम के नहीं इसी प्रकार के **02 (**दो) समान कार्य

**(iii)** रु**.23,12,000/-** अनुमानित लागत का 80% की लागत से कम के नहीं इसी प्रकार का **01 (**एक) समान कार्य ।

(कार्य के क्लायंट द्वारा कार्य निष्पादन के प्रमाणन पर आधारित ) संतोषजनक रुप से पूरा किया होना चाहिए तथा यदि योग्य समान कार्य केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र अथवा राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में न किया गया हो, उसके के लिए बिडर द्वारा टीडीएस /जीएसटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

5. अर्हता के उद्देश्य के लिए "कार्य के कीमत" का अर्थ उन सामग्रियों, जिनकी मुफ्त में आपूर्ति की गयी है, को छोड़कर सरकार/क्लायंटों दवारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की कीमत सहित पूरा किये गये कार्य का समग्र मूल्य होगा। लिए के उद्देश्य के क्लाज इसइसीप्रकार के कार्य का तात्पर्य है **" विद्युत पैनल / एम सीसी पैनल / विद्युतीकरण कार्य की आपूर्ति / स्थापना "।**

6**.** निष्पादित कार्य के मूल्य को **7%** प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा कागजात के क्रय/डाउनलोड करने के लिए अनुरोध की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।

7. ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता कार्य के अनुमानित कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक होना जाएगा किया तय द्वारा सूत्र निम्नलिखित को क्षमता की लगाने बोली । चाहिए:

**बोली लगाने की क्षमता = (A X N X 2) - B**

जहाँ A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर । पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा ।

N = कार्य, जिसके लिए बिड आमंत्रित किये गये हैं, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या ।

B = कार्य, जिसके लिए बिड आमंत्रित किये गये हैं, की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं ।

8. यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकता को पूरा कर सकता है, वह अयोग्य माना जाएगा यदि उसने

- भर्मात्मक अथवा झूठा अभ्या वेदन किया है अथवा योग्यता मानदंड कागजात में अपेक्षित फार्मों, कथनों तथा परिशिष्टों में दी गई सूचना को जान बूझकर छिपायाहै।

- वित्तीय असफलता/कमजोरी इत्यादि अथवा ठेके को ठीक से न पूरा करने,कार्य को छोड़ देने जैसे खराब कार्यनिष्पादन का रिकार्ड रखता है।

बोलीदाता अनुसूचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश से किसी भी कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है।

- यदि डीएई सुरक्षा से बोलीदाता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए । संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

**शर्तें :**

10. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेगें, जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकें:-

क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षो के दौरान उनका टर्नओवर ।
ख) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं ।
ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप ।
घ) कंपनी की संगठनात्मक संरचना ।
च) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
छ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता ।
ज) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति ।
झ) क्षेत्र नियोजन क्षमता ।
ट) कंपनी की कार्य को बैक टू बैक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति ।
ठ) किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उद्दमों द्वारा बोली लगाने वाले (यदि कोई हो) के डिबारमेंट की प्रकृति।

**अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन :** इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तक – अनुलग्नक के – परिशिष्ट के 2014 के अनुसार किया जाएगा ।

**बिडोंकावित्तीयमूल्यांकन :**वित्तीय बोली को खोलने की तिथि को उन बिडरों को सूचित किया जाएगा जिनकेभाग -क (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तथा ऐसे बिडरों को भाग -ख (वित्तीयबोली) को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

इंगित कार्य का अनुमानित लागत केवल लगभग है तथा ठेकेदार द्वारा वास्तविक आंकड़ा पर आधारित दरोंको निकाला जाएगा

11. निविदाकर्ता को निम्नानुसार प्रारूप में मूल रूप में पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा:

"मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं तथा यह निश्चित करता हूँ/करते हैं कि योग्य समान कार्य बैक टू बैक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है । आगे, यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के ध्यान में आता है, तब मैं/हम हमेशा-हमेश के लिए भविष्य में एनआरबी, भापअ केंद्र में निविदा करने के लिए डिबार हो जाऊगा/जाएंगे ।

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के एक बोली लगाने वाले और ऐसे देशो से उप-अनुबंध पर अनुबंध के संबंध में अनुबंध में खंड पढ़ा है, मई प्रमाणित करता हुं कि यह बोली लगाने वाले ऐसे देश से नहीं है। सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को किसी भी कार्य का उपसंयोजन नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो । इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओ को पूरा करता है और विचार के योग्य है ( जहां लागू हो, सक्षम द्वारा वैध पंजीकरण का प्रमाण) प्राधिकरण संलग्न किया जाएगा।

12. भाग क । होगी नहीं अनुमति की करने संशोधन के प्रकार किसी में निविदा बाद के खुलने के

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी ऐसे उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

15. कार्य को करने के लिए समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी किए जाने के 15वें या कार्य शुरु करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के अनुसार की जाएगी ।

16. निविदा को निविदा के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के अंतिम तिथि से 180 दिनों तक वैध रखा जाएगा ।यदि कोई बोलीदाताओ अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमो और शर्तो में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बयान राशि का 50% (पचास प्रतिशत) जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

17. यदि निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

18. संभावित बोलीदाता को 1 (iv) में वर्णित ईएमडी दस्तावेज़ो जैसे एफडीआर /डीडी/बीसी की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए और खंड 11 में वर्णित ईएमडी दस्तावेजो और शपथ पत्र की मूल प्रतियां भाग ' क ' खुलने के पहले मूल प्रति को प्रभारी अभियंता**,** ईएमसी (विद्युत) **,** कॉमन सर्विस बिल्डिंग **,** बीएआरसी कालोनी**,** पोस्ट – टीएपीपी जिला-पालघर, पिन - 401502 के कार्यालय में जमा किया जान चाहिए। ऐसा न करने पर निविदा को रद्द किया जाएगा ।

19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए ।
प्रतिभूति जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रुप में भी स्वीकार किया जाएगा । किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपाजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा ।

20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, जमा किये जाने के लिए किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपाजिट रसीद/ बैंक गांरटीजीएम आर एंड डब्ल्यूएम आयएनआरपी(ओ) एनआरबी(टी) के नाम पर/बैकर्स चेक के रुप में कार्यनिष्पादन गांरटी के रुप में ठेका के निविदा मूल्य के 5% की समतुल्य राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा ।

21. यदि सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 15वें दिन ( और अनुसूची एफ में उल्लिखित अनुग्रह अवधि के अधीन) को या कार्य को शुरु करने से पहले, जो भी पहले हो, निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो विभाग (बीएआरसी ) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिना किसी सूचना के उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है । वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है तथा जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा ।

25. i) कोट किए गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी । ठेकेदार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा ।

ii) यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी ।

iii) आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा ।

iv) सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी ।

v) ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए । ठेकेदार को ठेका कर्मियों केईपीएफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा ।इस बात से संतुष्ट होने के बाद ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रुप से एवं असली रुप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । बिडर को ईपीएफ एवं ईएसआईसी को अपने दर में नही मानना चाहिए ।

26. **जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा ।**

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्त की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र, बिना कोई कारण बताए/बिना 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए तुरंत ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/देयता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त कर ले ।

**अनुदेश :**

27. ठेकेदार को https://eprocure.gov.in/eprocure/appके साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

28. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए । उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी /पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा । योग्यता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। अनुलग्नक - ख के अनुसार मूल रुप में बिड प्रतिभूति घोषणा को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को खोलने से पहले जमा किया जाएगा । तब योग्य बिडों को अधिसूचित तारीख एवं समय को खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी ।

29. निविदा खुलने के बाद ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।

30. बोलीदाता को प्रत्येक मद की दर कोट करना सुनिश्चित करें। वित्तीय बोली इस निविदा दस्तावेज़ के साथ https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर BoQ_XXXX.xls के रूप मे प्रदान की जाती है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अनुमत (असुरक्षित ) सेल मे अपनी दरे कोट करे जो अलग-अलग रंगो और अन्य विवरणो मे दिखाई देती है। ( जैसे बोली लगाने वाले का नाम) कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाताओ को फाइल नाम बदले बिना इसे सहेजना चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा करना चाइए। बोलीदाता किसी भी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट मे छेड़छाड़ / संसोधन नहीं करेगा। इसलिए यदि कोई सेल खाली छोड़ा जाता है और बोलीकर्ता कोई दर कोट नहीं करता है तो उस मद की दर "O" (शून्य) समझी जाएगी।

31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

    (i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबार ( वरियत: UDIN के साथ)

    (ii) मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वित्तीय वर्षो के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण (वरियत: UDIN के साथ)

    (iii) नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

    (iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची/ कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक उपकरण

    (v) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची।

    (vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन।

    (vii) ईएमडी दस्तावेजो की प्रति जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी

    (viii) पिछले सात वर्षो में पूर्ण किए गए समान कार्यो की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है ii) कार्य का मूल्य iii) अनुमानित और पूरा होने का वास्तविक समय iv) ग्राहको से योग्य समान कार्यो का प्रदशन प्रमाण पत्र।

इंगित करने वाले कार्यो की सूची i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति

ix) प्रमाणपत्र:

क. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।

ख. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाण-पत्र

ग. जीएसटी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।

घ. पीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।

(x) यह वचन (अंडरटेकिंग) कि इसी प्रकार का कार्य बैक टू बैक आधार पर दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है ।

(xi) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड (क्लाउज) 11 के अनुसार वचन (अंडरटेर्किंग)

(xii) वैध विद्युत लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा ।

(xiii) घोषणा कि ठेकेदार को 3(I) में वर्णित के अनुसार किसी प्राधिकारी/एजेंसी द्वारा टेंडर करने से डिबार नहीं किया गया है ।

xiv) कंपनी के लेटर हेड में 1961 आयकर अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार उपक्रम अनुलग्नक-ii, में संलग्न प्रारूप में ।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करन के लिए कह सकती है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा खरीद/डाउनलोड एवं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं ।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु https://eprocure.gov.in/eprocure/appवेबसाइट देख सकते हैं।
3. किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए (02525)268047 / 268070
   फैक्स नं. (02525) ........... पर संपर्क करें।
4. ई निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्न व्यक्तियों से संपर्क करें:
   क. श्री भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव :फोन नं.:022-25487480
   ख. किसी भी तकनीकी संबधित प्रश्न के लिए कृपया 24x7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करे।
   1) 0120-4001 002
   2) 0120-4001 005
   3) 0120-6277 787
5. स्थल भ्रमण / स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ई-मेल आईडी:-सेवा में : smdash@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा ।

निदेशक जीएसओ, एनआरबी,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

डी. बी. साठे / D. B. Sathe
निदेशक, सा. से. सं. (ता) / Director, GSO (T)
ना.पु.बो (ता) / NRB(T)
भा.प.अ.कें तारापुर / BARC, Tarapur
पो-घिवली, ता. एवं जि. पालघर
PO-Ghivali, Tal. & Dist. Palghar

निविदा सूचना : बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी/ईएमटी-189/2025/438 दिनांक: 27/10/2025

**Annexure-I to NIT No: BARC(T)/NRB/GSO/EMC/EMT-189/2025/438 dtd.27/10 /2025**

I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.

II. “Bidder” (including the term ‘tenderer’, ‘consultant, or ‘service provider’ in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.

III. “Bidder from a country which shares a land border with India” for the purpose of this order means:-

a. An entity incorporated, established or registered in such a country; or

b. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or

c. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or

d. An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or

e. An Indian (or other) agent of such an entity; or

f. A natural person who is a citizen of such a country; or

g. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above.

IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under:

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation:

a. “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company.

b. “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements

2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership

3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals

4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official

5. In case of trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.

VI. The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority.

**Annexure-II to NIT No: BARC(T)/NRB/GSO/EMC/EMT-189/2025/ 438    dtd.27/10/2025**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
Undertaking pursuant to Section 206 AB of the Income Tax Act 1961
Declaration confirming filling of Income Tax Return from immediate two preceding years.

I, _______________ [Name], in the capacity of Individual/ Proprietor/ Partner/ Director/ Authorized signatory of ------------------------- [Entity Name] with PAN _____, do hereby make the following declaration as required under the relevant provision of the Income Act ,1961 (hereinafter referred as 'the Act'):

1. That I/We am/are authorized to make this declaration in the capacity as Individual / Proprietor/ Partner/ Director.
2. I/We hereby declare and confirm that I/We do not fall under the definition of 'specified person' as provided in section 206AB of the IT Act.
3. I/We have duly filed return of income for FY ------ & FY ------- within due date as per Section 139(1) of the Income-tax Act, 1961 – Yes / No (Strike out whichever is not applicable).
4. IF return has been filed the details are as follows:

I/We, __________________ having PAN_____________, hereby confirm that the provision of Section 206 AB is not applicable in my/our case as I/We am/are regular in filling of Income Tax Return. The details (along with proof of documents) of acknowledgement numbers and date of filling of Income Tax Return for last two financial years are furnished below:

| S. No. | Financial Year / (Assessment Year) | Date of Filing Income Tax Return | ITR Acknowledgement Number |
|---|---|---|---|
| 1 | -------------- / (-----------) | | |
| 2 | -------------- / (------------) | | |

5. I/We hereby take responsibility for any loss/liability fully including any Tax, interest, penalty, etc. that may arise due to incorrect reporting of above information.

All the aforesaid representations are true and correct, and we/I agree to furnish any evidence required at any time in support thereof.

On behalf of ______________________
<< Name of the authorised signatory>>

<< Designation>>
Name of the Entity:

Seal :

Date :

# Annexure-III

## Undertaking for t*he provisions of* Public Procurement (Preference to Make in India), Order-2017, Order No. "P-45021/2/2017-B.E. –II, Revision, dated 16/09/2020 and as amended from time to time.

**NIT No.: BARC(T)/NRB/GSO/EMC/EMT-189/2025/438 dtd.27/10/2025**

**NAME OF WORK:** Electrification in renovated Type-E Bunglow & replacement of Service panels in Type-D Spl. Buildings in BARC Staff colony, Tarapur.

In reference to above mentioned Tender reference, I/we M/s……………………………………………….
(Supplier Name) hereby certify that the products/ Services offered ----------------------------------------
(Name of the Work) meet the requirement of the minimum local content as prescribed for "Class -1 Local Supplier" as mentioned in DPIIT order of Public Procurement (Preference to Make in India), Order-2017, Order No. "P-45021/2/2017-B.E. –II, Revision, dated 16/09/2020 and as amended from time to time.

We hereby confirm that the Local content for above mentioned work is……………. % of total value of Work order.

Seal and Signature of Authorised Signatory.

Note: In case Procurement cost exceeds Rs. 10 Crore, this Percentage of Local content shall be certified statutory auditor/ cost auditor of company/ practicing cost accountant /practicing chartered accountant as defined in the above order.